कीटनाशक उपयोग अधिसूचना योजना

PARRAMATTA नगर के लिए

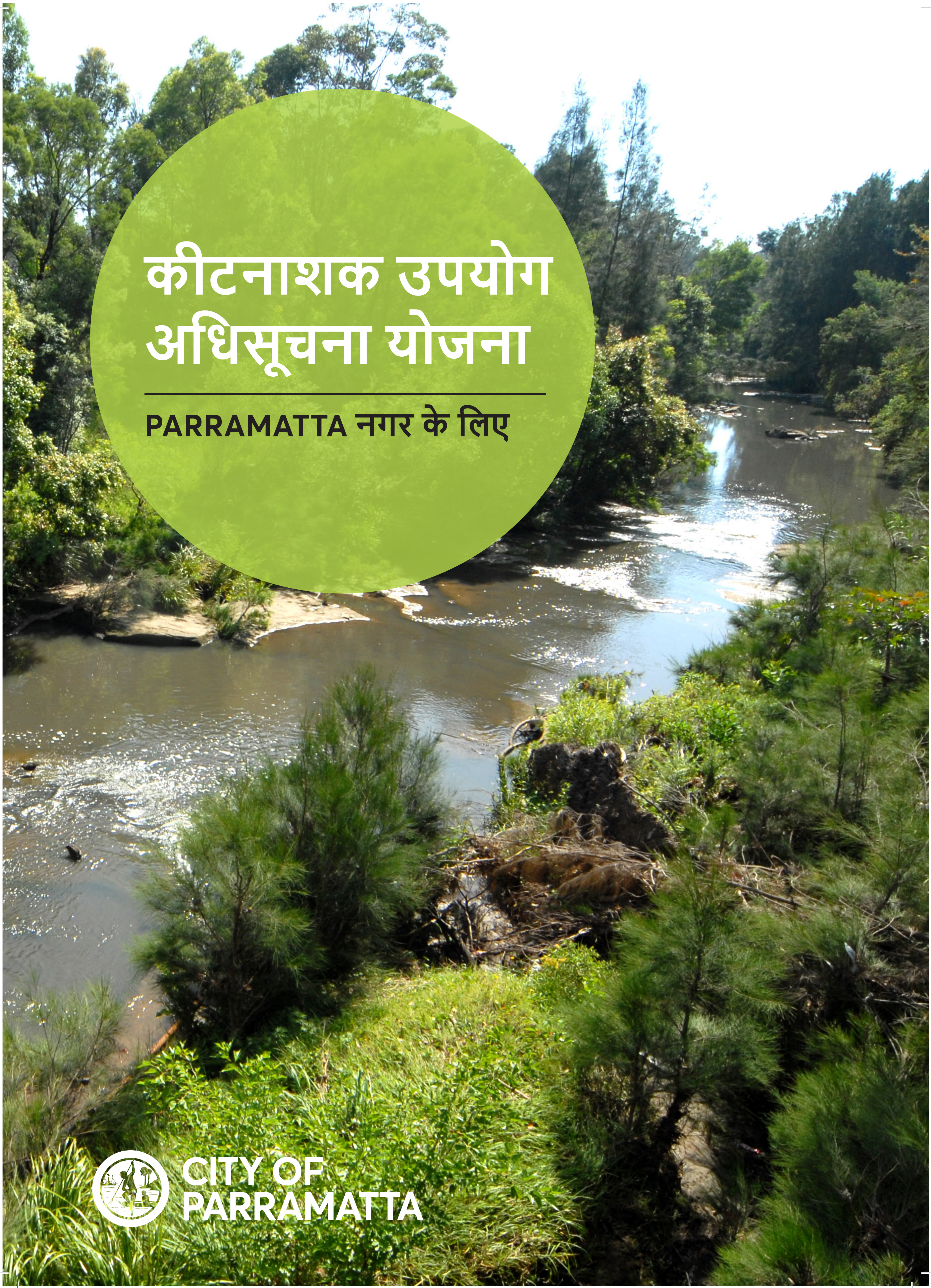

CITY OF PARRAMATTA

1.परिचय

कीटनाशक उपयोग अधिसूचना योजना कीटनाशक विनियमन 2017 (विनियमन) की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई है।

इस योजना का उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक अधिकारियों के स्वामित्व या उनके नियंत्रण में आने वाले बाहरी सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में समुदाय के जानकारी प्राप्त करने के सामान्य अधिकार को पूरा किया जा सके। यह योजना समुदाय के सदस्यों को, अगर वे चाहें, कीटनाशकों के संपर्क में आने से बचने के लिए कार्यवाही करने की अनुमति देती है।

परिषद यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशकों का छिड़काव एक सुरक्षित, जिम्मेदार तरीके से किया जाए, जिससे समुदाय और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। परिषद यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कीटनाशकों का उपयोग न्यायसंगत हो और इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए ज़रूरी कीटनाशकों की सबसे कम विषाक्तता इस्तेमाल की जाए। योजना परिषद और इसके ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशकों के छिड़काव के बारे में समुदाय के सदस्यों को सूचित करने का तरीका निश्चित करती है।

योजना यह बताती है कि:

- **कौन से सार्वजनिक स्थान इसके तहत आते हैं – इन स्थानों का नियमित रूप से उपयोग कौन करता है और उनके उपयोग के स्तर का अनुमान क्या है**
- **परिषद सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशकों के छिड़काव के बारे में समुदाय को कैसे और कब जानकारी देगी (यानि, सूचना देने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी)**
- **भविष्य में योजना की समीक्षाएँ कैसे की जाएँगी**
- **परिषद के साथ इस योजना पर चर्चा करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए संपर्क विवरण।**

परिषद सार्वजनिक स्थानों में कीटनाशकों का छिड़काव केवल आवश्यकता होने पर ही खर-पतवार को नष्ट करने, परिषद की संपत्तियों का रख-रखाव करने, कीट-क्षति से संपत्ति की सुरक्षा करने, और सार्वजनिक स्थानों के उपयोगकर्ताओं को परेशानी और खतरे से बचाने के लिए करती है। यदि नियंत्रण करने के वैकल्पिक तरीके संभव और व्यावहारिक हों, तो कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता को सीमित किया जाएगा।

2. इस योजना के तहत आने वाले सार्वजनिक स्थान

परिषद अपने तहत आने वाले स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में से निम्नलिखित श्रेणियों के बाहरी सार्वजनिक स्थानों में कीटनाशकों का छिड़काव करने या इसके लिए अनुमति देने का प्रस्ताव करती है:

- पार्क और सार्वजनिक उद्यान, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - *खेल के मैदान*
  - *पिकनिक और बारबेक्यू क्षेत्र*
  - *बंद सड़कें और अन्य हरी-भरी खुली जगहें*
- स्पोर्टिंग फील्ड्स और ओवल, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - *टेनिस कोर्ट्स*
  - *क्रोकेट कोर्ट्स*
  - *सार्वजनिक तरण-ताल*
- सड़कें, गलियाँ, पथ और छोर, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - सड़क के किनारे लगाए गए वृक्ष
  - सड़क के किनारे लगाए गए वृक्षों के आधार और चौखाने
- बुशलैंड रिज़र्व
- नालियाँ और ईज़मेंट्स
- परिषद के भवन और उनके आस-पास के इलाके।

परिशिष्ट ए में दर्शाई गई तालिका में सार्वजनिक स्थानों की श्रेणियों, उपयोगकर्ता समूहों, उपयोग के स्तर, प्रयुक्त किए गए कीटनाशकों और अधिसूचना विधियों का सारांश दिया गया है।

3. अधिसूचना व्यवस्थाएँ

योजना के इस खंड में बताया गया है कि परिषद कैसे और कब सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशकों के छिड़काव की अधिसूचना देगी। ये अधिसूचना व्यवस्थाएँ परिषद द्वारा किए गए निम्नलिखित विषयों के आकलन पर आधारित हैं:

- जिन सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है, उनके उपयोग का स्तर
- कीटनाशकों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशीलता की संभावना वाले जनसाधारण के सदस्य *(जैसे कम उम्र के बच्चे, बीमार, गर्भवती महिलाएँ और बुज़ुर्ग लोग)* किस सीमा तक संभवत: नियमित रूप से इन क्षेत्रों का उपयोग करेंगे
- किस सीमा तक इन क्षेत्रों में सामान्यत: आयोजित किए जाने वाले कार्य-कलापों के कारण कीटनाशकों के साथ थोड़ा-बहुत सीधा संपर्क हो सकता है *(जैसे पिकनिक क्षेत्र, जहाँ भोजन का सेवन किया जाता है; खेल या अन्य मनोरंजक गतिविधियाँ, जिनमें ज़मीन से संपर्क हो सकता है)*
- किस प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया है।

कीटनाशकों के छिड़काव की अधिसूचना निम्नलिखित माध्यमों के संयोजन से दी जाएगी:

- संकेत
- परिषद की वेबसाइट पर दी गई जानकारी *(जो सार्वजनिक स्थानों पर नियोजित किए गए, प्रतिक्रियात्मक और आपातकालीन कीटनाशकों के छिड़काव के बारे में बताएगी)* और जिसे रेट नोटिसों द्वारा प्रसारित किया जाएगा
- पत्र
- फैक्स और ईमेल
- लेटरबॉक्स में डाले गए प्रपत्र
- हरेक घर-परिवार के साथ व्यक्तिगत संपर्क
- फोन संपर्क।

अधिसूचना से छूट

परिषद खुदरा दुकानों में व्यापक रूप से उपलब्ध और सामान्यत: घरेलू उद्देश्यों (जिसमें घरेलू बागवानी शामिल है) के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ कीटनाशकों की कम मात्रा का छिड़काव करती है। परिषद इस योजना में बताए जाने के अतिरिक्त इस प्रकार के कीटनाशकों के छिड़काव की अधिसूचना देने का इरादा नहीं रखती है। यह नीति चारे वाले अथवा छड़ी या हाथ से स्प्रे किए जाने वाले अधिकतम 15 लीटर तक की बोतल या एयरोसोल स्प्रे कैन और स्पॉट खर-पतवार नियंत्रण से इनडोर और आउटडोर कीटों के मामूली नियंत्रण पर लागू होगी।

3.1 आउटडोर मनोरंजन क्षेत्र

नीचे वर्णित की गई अधिसूचना व्यवस्थाएँ स्थानीय सरकारी क्षेत्र (एलजीए) के अंदर परिषद के स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाली निम्नलिखित सार्वजनिक स्थल श्रेणियों पर लागू होगी:

- सार्वजनिक पार्क और बगीचे
- खेल के मैदान
- पिकनिक क्षेत्र
- स्पोर्टिंग फील्ड्स, ओवल, और संबंधित खेल सुविधाएँ।

इन सार्वजनिक स्थलों में छिड़काव के स्थान या मुख्य प्रवेश के पास निम्नलिखित कीटनाशकों का उपयोग किए जाने के कम से कम 24 घंटे पहले और कम से कम 24 घंटे बाद तक जनसाधारण के लिए संकेत उपलब्ध कराए जाएँगे:

- ब्रॉडस्केल चुनिंदा शाकनाशक
- ब्रॉडस्केल गैर-चुनिंदा शाकनाशक
- ब्रॉडस्केल कीटनाशक
- कवकनाशक (ज़रूरत होने पर बगीचों की ज़मीन पर)
- स्प्रे किए जाने वाले दीमकनाशक और चींटी नियंत्रण
- चारा दीमकनाशक *(जहाँ जारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कीटनाशकों का केवल सर्वप्रथम उपयोग)*
- चारा पक्षी नियंत्रण *(जहाँ जारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कीटनाशकों का केवल सर्वप्रथम उपयोग)*
- चारा कृंतकनाशक *(जहाँ जारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कीटनाशकों का केवल सर्वप्रथम उपयोग)*।

यदि उपर्युक्त कीटनाशकों का छिड़काव संवेदनशील स्थानों के निकट किया जाता है (धारा 3.5 के तहत 'संवेदनशील स्थानों' की परिभाषा देखें), तो उन स्थानों में रहने वाले निवासियों को 48 घंटे पहले फोन, मेल या लेटरबॉक्स ड्रॉप (इनमें से जो भी सबसे अधिक व्यावहारिक हो) के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

3.2 परिषद के भवन

परिषद के कक्षों, परिषद के स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाले पुस्तकालयों, सामुदायिक हॉलों, केंद्रों और शिशु देखभाल सुविधाओं में छिड़काव के स्थान या मुख्य प्रवेश के पास निम्नलिखित कीटनाशकों का उपयोग किए जाने के कम से कम 48 घंटे पहले और कम से कम 48 घंटे बाद तक संकेत उपलब्ध कराए जाएँगे:

- कीटनाशकों का स्पॉट छिड़काव
- चारा कृंतकनाशक
- स्प्रे किए जाने वाले दीमकनाशक
- स्प्रे द्वारा चींटी नियंत्रण
- चारा दीमकनाशक
- चारा चींटी नियंत्रण
- चारा पक्षी नियंत्रण।

इसके अलावा, परिषद की शिशु देखभाल सुविधाओं के संचालकों को नियोजित किए गए सभी कीटनाशक छिड़कावों से पाँच दिन पहले पूर्वसूचना दी जाएगी।

3.3 संवेदनशील स्थानों के लिए विशेष उपाय

विनियमन के खंड 18 के अनुसार परिभाषित किए गए संवेदनशील स्थानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्कूल या प्रिस्कूल
- किंडरगार्टन
- शिशु देखभाल केंद्र
- अस्पताल
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
- नर्सिंग होम
- पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (ईपीए) द्वारा घोषित किए गए संवेदनशील स्थान।

संवेदनशील स्थानों के 20 मीटर के दायरे में आने वाले आउटडोर सार्वजनिक स्थानों में कीटनाशकों के पूर्व-नियोजित छिड़काव से पहले 48 घंटो के लिए लक्षित अधिसूचना देने के विशेष उपाय।

संवेदनशील स्थानों के निकट आउटडोर सार्वजनिक स्थानों में गैर-आपातकालीन प्रतिक्रियात्मक कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए आने से कुछ समय पहले परिषद फोन से संपर्क करके, घर पर संपर्क करके या लेटरबॉक्स ड्रॉप के माध्यम से निवासियों को इसकी अधिसूचना देगी (इनमें से जो भी व्यावहारिक हो)।

यदि किसी संवेदनशील स्थान के निकट आउटडोर स्थान पर आपात स्थिति से निपटने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाना आवश्यक हो, तो परिषद उस संवेदनशील स्थान में छिड़काव करने के कम से कम 30 मिनट पहले उसके आस-पास के लोगों से घर पर संपर्क करेगी, ताकि उन्हें यह पता रहे कि एक खतरनाक कीट आक्रमण से निपटने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

3.4 आपातकालीन कीटनाशक छिड़काव

खतरनाक कीटों (जैसे कृंतकों, ततैयों, मधुमक्खियों, विषैली मकड़ियों, पिस्सुओं, पक्षियों पर लगने वाले छोटे कीटों या इसी तरह के जीवों) से निपटने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर कीटनाशक का आपातकालीन छिड़काव किया जाना आवश्यक हो सकता है। यदि संभव हो, तो इन स्थितियों में परिषद छिड़काव के स्थल के पास संकेत लगाकर इसके बारे में सूचित करेगी। यदि ऐसा करना संभव न हो, तो परिषद अपनी सूचना लाइन के माध्यम से इसके बारे में सूचित करेगी।

3.5 कीटनाशक ठेकेदार और सार्वजनिक स्थानों के पट्टेधारी

यदि परिषद अपनी तरफ से कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ठेकेदारों का उपयोग करती है, तो परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि इस योजना की आवश्यकताओं के अनुसार अधिसूचना बनाई गई हो।

यदि व्यक्तियों या संगठनों को परिषद की ज़मीन वर्तमान पट्टे पर मिली है और वह ज़मीन एक सार्वजनिक स्थान है, तो उन पट्टेधारियों को इस योजना के अनुसार कीटनाशकों के छिड़काव के बारे में परिषद को अधिसूचित करना होगा।

4. कौन सी जानकारी प्रदान की जाएगी

विनियमन के खंड 41(एच) के अनुसार, कीटनाशकों के छिड़काव की अधिसूचना में निम्नलिखित सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए:

- छिड़काव किए जाने वाले कीटनाशक का पूरा उत्पाद नाम
- छिड़काव किए जाने का उद्देश्य, जिसमें स्पष्ट रूप से यह विवरण दिया जाए कि कौन से कीट या कीटों के लिए छिड़काव किया जा रहा है
- नियोजित छिड़काव की प्रस्तावित तिथि/अवधि।
- कीटनाशकों के छिड़काव का स्थान
- उस परिषद अधिकारी का टेलीफोन नंबर और ईमेल, जिससे लोग अधिसूचना के बारे में चर्चा करने के लिए संपर्क कर सकते हैं
- छिड़काव के स्थान पर पुन: प्रवेश करने या उस स्थान का उपयोग करने के संबंध में उत्पाद के लेबल या ऑस्ट्रेलियाई कीटनाशक और पशु-चिकित्सा औषधि प्राधिकरण (एपीवीएमए) की अनुज्ञप्ति पर निर्दिष्ट चेतावनियाँ।

संकेत एक मानक डिज़ाइन के होंगे, जिसे जनसाधारण और कर्मचारियों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकेगा।

5. इस योजना के बारे में समुदाय को कैसे सूचित किया जाएगा

परिषद इस योजना के बारे में निवासियों को निम्नलिखित तरीकों से सूचित करेगी:

- परिषद के पुस्तकालयों और मुख्य कार्यालय में कार्यकाल के दौरान योजना की एक प्रति सार्वजनिक रूप से देखी जाने के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी
- परिषद की वेबसाइट cityofparramatta.nsw.gov.au पर योजना की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी
- Parramatta एडवरटाइज़र में एक सूचना दी जाएगी।

6. भविष्य में योजना की समीक्षाएँ

प्रत्येक तीन वर्षों के अंतराल में अधिसूचना योजना की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में निम्नलिखित शामिल होगा:

- योजना के क्रियान्वयन की एक प्रगति रिपोर्ट
- योजना में प्रस्तावित परिवर्तनों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाएँगी
- सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रकाश में योजना में परिवर्तनों के लिए सँस्तुतियाँ की जाएँगी (यदि लागू हो, तो)।

7. संपर्क विवरण

अधिसूचना योजना के बारे में चर्चा करने के लिए या सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशकों के छिड़काव के बारे में विशिष्ट विवरण प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित से संपर्क करना चाहिए:

सर्विस मेनेजर पार्क्स
सिटी ऑपरेशन्स
फोन: 9806 5000
ईमेल: council@cityofparramatta.nsw.gov.au
वेबसाइट: cityofparramatta.nsw.gov.au

परिशिष्ट

परिशिष्ट ए – स्थान श्रेणियों और अधिसूचना प्रक्रियाओं का सारांश
cityofparramatta.nsw.gov.au/recreation-environment/our-parks/list-of-parks-and-reserves

(परिशिष्ट ए) **स्थान श्रेणियों और अधिसूचना प्रक्रियाओं का सारांश**

परिषद के स्वामित्व या नियंत्रण के तहत आने वाले सार्वजनिक स्थान	**नियमित उपयोगकर्ता समूह**	**सार्वजनिक उपयोग का स्तर**	**प्रयुक्त किए गए कीटनाशक का प्रकार**	**अधिसूचना का तरीका**
सार्वजनिक पार्क और उद्यान, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: • खेल के मैदान • पिकनिक और बारबेक्यू क्षेत्र	• बच्चे और युवा परिवार • बुजुर्ग लोग • मनोरंजन के उद्देश्य के लिए सामान्य उपयोगकर्ता (जॉगिंग, चहल-कदमी, और पिकनिक आयोजित करने वाले व्यक्ति) • अन्य सामाजिक समूह	उच्च से अत्यधिक उच्च अक्सर कम से मध्यम अवधि के लिए सप्ताहांतों और स्कूल के अवकाशों में लंबी अवधि के लिए	• गैर-चुनिंदा शाकनाशकों का स्पॉट स्प्रे छिड़काव • कृंतकनाशक	केवल इस योजना के माध्यम से अधिसूचना
			• ब्रॉडस्केल चुनिंदा शाकनाशक • कीटनाशक; संपर्क और व्यवस्थित	छिड़काव क्षेत्र के निकट प्रमुख स्थानों पर संकेत
स्पोर्टिंग फील्ड्स, और अन्य संबंधित खेल सुविधाएं	• स्पोर्टिंग क्लब और संगठन • स्कूलों के खेल समूह • मनोरंजन के उद्देश्य के लिए सामान्य उपयोगकर्ता • अनियमित खेल आयोजक	उच्च खेल के मौसम और कार्यक्रमों के अनुसार	• गैर-चुनिंदा शाकनाशकों का स्पॉट स्प्रे छिड़काव • कृंतकनाशक	केवल इस योजना के माध्यम से अधिसूचना
			• स्पॉट कीटनाशक • ब्रॉडस्केल चुनिंदा शाकनाशक • ब्रॉडस्केल अंकुरण-पूर्व शाकनाशक • ब्रॉडस्केल कीटनाशक • कवकनाशक	छिड़काव क्षेत्र के निकट प्रमुख स्थानों पर संकेत
सड़कें, गलियाँ, मार्ग, प्रकृति-पट्टियाँ, ईज़मेंट्स और नालियाँ, सड़कों के परिदृश्य	• जनसाधारण - निवासी और आगंतुक • पदयात्री, साइकिल चालक, मोटर चालक	मध्यम	• गैर-चुनिंदा शाकनाशकों का स्पॉट स्प्रे छिड़काव	केवल इस योजना के माध्यम से अधिसूचना
बुशलैंड रिज़र्व और अन्य प्राकृतिक क्षेत्र	• मनोरंजन के उद्देश्य के लिए सामान्य बुशवॉकर • स्वयंसेवक बुशकेयर कर्मी	निम्न	• गैर-चुनिंदा शाकनाशकों का स्पॉट स्प्रे छिड़काव	केवल इस योजना के माध्यम से अधिसूचना
			• ब्रॉडस्केल चुनिंदा शाकनाशक • कीटनाशक; संपर्क और व्यवस्थित • कृंतकनाशक	छिड़काव क्षेत्र के निकट प्रमुख स्थानों पर संकेत
परिषद के भवन और उनके आस-पास के इलाके	• पुस्तकालय उपयोगकर्ता और शिशु देखभाल सेवार्थी • सामुदायिक समूह / संगठन • कर्मचारी और आगंतुक • जनसाधारण	उच्च	• स्पॉट कीटनाशक • स्पॉट शाकनाशक • धूल, तरल अवशिष्ट स्प्रे और चारा कीटनाशक • चारा पक्षी नियंत्रण • कृंतकनाशक	केवल इस योजना के माध्यम से अधिसूचना
			संवेदनशील माने जाने वाले स्थानों, या इनके 20 मीटर के दायरे के अंदर आने वाले स्थानों के लिए विशेष उपाय (बिंदु 3.3 देखें) लागू होंगे।	

CITY OF
PARRAMATTA